

## सामान्य अधिकार-पत्र

मैं ..... आत्मज श्री ..... आयु ..... वर्ष निवासी..... का होकर मेरी विभिन्न स्थानों पर चल एवं अचल सम्पत्ति है तथा व्यापार एवं व्यवसाय भी काफी फैला हुआ है, जिसके कारण मैं अपनी संपत्ति एवं व्यवसाय का न तो ठीक प्रबंध कर पाता हूँ और न ही प्रशासन ठीक ढंग से होता है । व्यापार एवं व्यवसाय से संबंधित अनेक विवाद भी न्यायालयों में चलते रहते हैं, जहां कि मेरा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना असंभव रहता है ।

अतः इस सामान्य अधिकार-पत्र के द्वारा ..... आत्मज श्री ..... आयु....., निवासी ..... को अपना वैध एटर्नी नियुक्त करता हूँ तथा उसे अधिकृत करता हूँ कि -

- (1) वह उक्त सारी सम्पत्ति एवं व्यापार-व्यवसाय की देख-रेख करे, उसका प्रशासन सम्भाले एवं ठीक ढंग से उसका संचालन करें ।
- (2) वह व्यापार-व्यवसाय एवं सम्पत्ति से अर्जित सभी प्रकार के लाभों को प्राप्त करे एवं पूरा लेखा-जोखा रखे ।
- (3) वह व्यापार-व्यवसाय एवं सम्पत्ति से संबंधित उत्पन्न वादों के लिए न्यायालय में वाद संस्थित करे, अपील एवं पुनर्विलोकन या पुनर्विचार के लिए प्रार्थना करें, अधिवक्ता नियुक्त करें एवं तत्संबंधित सारी कार्यवाहियों का संचालन करे।
- (4) वह न्यायालय में संस्थित अभी तक के सारे वादों का समायोजन करे, समझौता करे, वापस लेकर उन्हें मध्यस्थता के लिए सुपुर्द करे ।
- (5) वह न्यायालय द्वारा पारित आज्ञाप्ति के निष्पादन की सारी कार्यवाहियों को पूरा करे ।

और मैं एतद्वारा यह घोषित करता हूँ कि मैं उन सभी कार्यों का अनुसमर्थन और पुष्टि करूंगा, जिन्हें वह इस लेख के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के द्वारा या अधीन वैध रूप से करेगा ।

उपर्युक्त के साक्ष्य स्वरूप मैंने आज दिनांक ..... माह..... सन्..... को ..... के दिन निम्नालिखित दो साक्षियों के समक्ष अपने हस्ताक्षर कर दिये ।

साक्षीगण :-

- (1) .....
- (2) .....

हस्ताक्षर .....  
(निष्पादक)